

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./अग्नि/आ. बिजली/2019-20/3086

दिनांक: 31/03/2021

:- भुगतान स्वीकृति आदेश :-

तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ एवं अरनोद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं (आगजनी/बाढ़) से हुई पशुक्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाये गये हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार प्रतापगढ़ एवं अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधान अनुसार (आगजनी/बाढ़) से पीड़ित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. स.	आवेदन संख्या	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	वित्तीय स्वीकृति नं.	स्वीकृत राशि
01	AR/PART/2020/000121	श्री शांतिलाल पिता जगदीशचन्द्र प्रजापत निवासी कुलथाना तहसील व जिला प्रतापगढ़	दिनांक 01.05.2020 को आगजनी से एक भैस की मृत्यु होने पर	01876	30,000 / -रु.
02	AR/PART/2020/003983	श्री लक्ष्मीनारायण पिता हाका जी तेली निवासी अवलेश्वर तहसील व जिला प्रतापगढ़	दिनांक 02.10.2020 को आगजनी से एक भैस की मृत्यु होने पर		30,000 / -रु.
03	AR/PART/2020/000189	श्री होलीया पिता राया मीणा निवासी मगरी प.म. जोलर तहसील व जिला प्रतापगढ़	दिनांक 02.10.2020 को आगजनी से एक भैस की मृत्यु होने पर		30,000 / -रु.
04	AR/PART/2020/002998	श्री पुनमचन्द पिता थावरा निवासी भांणजी का खेड़ा प.म. अचनारा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 01.10.2019 को बाढ़/अतिवृष्टि से एक भैस की मृत्यु होने पर		30,000 / -रु.
		कुल योग			1,20,000 / -रु.

(अक्षरे एक लाख बीस हजार मात्र)

नोट:- इस राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:-
2245-01-800-(03)-[02]-12



(अनुपमा जोरवाल)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

दिनांक: 31/03/2021

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./अग्नि/आ. बिजली/2019-20/3086

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद।
5. तहसीलदार, प्रतापगढ़/अरनोद।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
7. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़